न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/134 (134/2021)

सोहन सिंह पुत्र श्री बन्तासिंह जाति कुम्हार सिख उम्र 50 वर्ष निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम

1. दर्शन सिंह पुत्र बन्त सिंह उर्फ बन्तासिंह जाति जटसिख साकिन हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.08.2021, प्र. सं. 105/2019
अनवान दर्शन सिंह बनाम सोहन सिंह आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उपस्थितः—
श्री राजेश दीपराय अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
श्री रविन्द्र कुमार भोभिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक 08.11.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के अन्तर्गत प्रार्थना—पत्र पेश किया। प्रार्थना—पत्र में कथन कियाकि प्रार्थी के नाम चक 4 डी.एन.जी. खाता संख्या 28/35 खाता दर्शन सिह जमाबंदी सम्वत 2071—74 में 2.277 है0 आराजी दर्ज है। प्रार्थना—पत्र की दफ़ा 2 में दर्ज आराजी में आने जाने हेतु कोई मंजूरशुदा रास्ता नही है जिससे उसे अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने में भारी परेशानी होती है। प्रार्थी चक 4 डी.एन.जी. पत्थर नम्बर 187/132 मुरब्बा [illegible] किला नं. 1 व 10 में उत्तर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ 1/1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो वह आसानी से आवागमन कर सकता है। प्रार्थी ने उक्त रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:33:38 IST
Reason: SelfAttested

2. अप्रार्थी से प्रार्थना—पत्र का जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पास आवागमन हेतु रास्ता मौजूद है वह किसी प्रकार का रास्ता स्वीकृत करवाने अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी लघु काश्तकार है यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी की भूमि के दो टुकड़े हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जायेंगे। प्रार्थी ने खाता विभजान के काफी वर्षों बाद यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावे।

3. विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 सं0 1 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया एवं चक 4 डी.एन.जी. पत्थर नम्बर 187/132 मुरब्बा नम्बर 32 किला नं. 1 व 10 में उत्तर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ साथ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया एवं डीएलसी की दो गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की हैं।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व उसके परिवार की चक 4 डी.एन.जी. के पत्थर नंबर 187/133 किला नं. 1, 10 व पत्थर नम्बर 186/133 किला नंबर 2 ता 8 कृषि भूमि है। पत्थर नम्बर 187/132 किला नं, 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्वी और रास्ता स्वीकृतशुदा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व उसके परिवार पत्थर नम्बर 186/132 के किला नं. 21 ता 25 में दक्षिण की ओर आवागमन करते है तथा पत्थर नम्बर 186/133 के किला नम्बर 2 ता 8 व पत्थर नंबर 187/133 के किला नं. 1 ता 10 व पत्थर नम्बर 186/132 के किला नं. 11 ता 14, 17 ता 24 के लिए यही रास्ता उपयुक्त है और रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व उसके परिवार ने खाता विभाजन में किला नं. 21, 22 में 1–1 बिस्वा घरू तौर पर रास्ता हेतु रखी हुई तथा पत्थर नम्बर 187/132 किला नं. 21/.240 22/.013 है0 कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के भाई नाजर सिह के नाम व पत्थर नम्बर 187/132 किला नं. 21/.013 22/.240 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पुत्र के नाम है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व उसका पुत्र राजेन्द्र साथ रहते हैं व संयुक्त रूप से काश्त करते हैं। पत्थर नम्बर 187/132 के किला नं. 21 व 187/132 के किला नं. 25 में मौका पर पुली बनी हुई थी जो रास्ता के अस्तित्व को साबित करती है। उसका फोटोग्राफ 05.08.2021 का है। दिनांक 10.08.2021 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उक्त पुली को तोड़ दिया है इस सम्बन्ध में फोटोग्राफ प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत किये हैं। रेस्पोडेण्ट के पास रास्ता मौके पर मौजूद था। अपीलाण्ट ने मौका पर चले रहे रास्ते के संबंध में रिपोर्ट मंगवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था मगर उस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। विधि सम्मत तरीके से रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई है। पटवारी हल्का ने मौका पर जाकर रिपोर्ट नहीं बनाई है अतः अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:33:38 IST
Reason: SelfAttested

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागनम हेतु काई मन्जूरशुदा रास्ता नहीं था जिसक कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को अपनी भूमि में आवागमन हेतु काश्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्वीकृतशुदा रास्ता से रेस्पोडेण्ट अपनी भूमि में आसाना से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आवागमन कर सकता है। अपीलाण्ट को कई बार रास्ता स्वीकृत करवाने का कहा था मगर वह आल मटोल करता रहा। रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट को भूमि के बदले में भूमि अथवा डीएलसी दर की से राशि देने हेतु तैयार है। अधीनस्थ न्यायलाय ने रास्ते में आई भूमि के बदले में डीएलसी की 2 गुणाराशि जमा करवाने के आदेश दिये हैं जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेज पेश किये हैं वे अपील के निर्णय के लिए सुसंगत दस्तावेज नहीं हैं इस कारण वे दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं लिए जा सकते हैं। प्रार्थी ने उक्त दस्तावेज विचारणीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं करने बाबत किसी प्रकार को काई उचित कारण प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदीयों एवं फोटोग्रफस से रेस्पोडेंट का कोई सरोकार नहीं है इन्हें रिकार्ड पर नहीं लिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खाारिज की जावे।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या3 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट के आवेदन पर चक 4 डी.एज.जे. प. नं. 187/132 मु. नं. 23 के किला नं. 1 व 10 में उत्तर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ साथ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया है। रेस्पोडेण्ट का कथन है कि उसके पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं था, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया रास्ता विधि सम्मत है, जबकि अपीलाण्ट का कथन है कि रेस्पोडेण्ट के पास पहले से ही आवागमन हेतु रास्ता मौजूद था रास्ते में खाले पर पुलिया बनी हुई थी जिसे तोड़ दिया गया है। अपीलाण्ट ने अपन कथनों के समर्थन में प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि खाता विभाजन में पत्थर नंबर 187/132 के किला नं. 21/0.240, 22/.013 है कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 1 के भाई नाजर सिंह के नाम व प. नं. 187/132 के किला नं. 21/.013 है0 22/0.240 है0 रेस्पो0 सं0 1 के पुत्र राजेन्द्र सिंह के नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि किला नं. 21 व 22 में एक–एक बिस्वा भूमि घरू तौर पर रास्ते हेतु रखी गई थी। अपीलाण्ट ने अपील में रास्ते पर पुलिया होने के फोटो ग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें दिनांक ... के फौटोग्राफ में पुलिया बनी हुई है एवं दिनांक 10.08.2021 के फोटाग्राफ में पुलिया टूटी हुई है या तोड़ी गई है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागनम हेतु पहले से ही रास्ता मौजूद है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:33:38 IST
Reason: SelfAttested

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.08.2021 निरस्त किया जाता है एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पोडेण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 251 'क' का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

12. निर्णय आज दिनांक 08.11.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/11/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:33:38 IST
Reason: SelfAttested